न्यायालय सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– मोनिका बलारा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:– 325/2010
आरसीएमएस नम्बर:– 2010/00221

श्यामसुन्दर पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी शरह कजाणी रिडमलसर पुरोहितान बीकानेर।

.....वादीगण

——बनाम——

1. झवंरलाल पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी चौपडा कटले के पीछे पानी की टंकी से पहले रानीबाजार, बीकानेर।
2. गोरधन पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी मकान नं. बी 2/250 सुदर्शन नगर नागणेची मन्दिर के पीछे,बीकानेर।
3. पूनम चन्द पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी चौपडा कटले के पीछे पानी की टंकी से पहले रानी बाजार, बीकानेर।
4. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर।

.....प्रतिवादीगण

प्रा .पत्र अन्तर्गत धारा 212 टीनेन्सी एक्ट सहपठित धारा 94, 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः–

1. श्री विनोद पुरोहित अभिभाषक प्रार्थीगण ।
2. श्री धन्ने सिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3. श्री सत्यनारायण तिवाडी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3
4. श्री दिनेश गहलोत अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

आदेश दिनांकः– 30.05.2018

इस प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि शरह कजाणी तहसील बीकानेर के साबिका खसरा नम्बर 10, 11 व 12 कुल तादादी 64.15 बीघा, जिसके हाल बन्दोबस्त नये खसरा नम्बर 42, 43, 44, 45 तादादी क्रमशः 0.10 हैक, 0.10 हैक, 6.70 हैक व 2.85 हैक. कुल तादादी 9.75 हैक. बने। जो स्वर्गीय कुनणी बेवाह श्री किसन जाति माली की खातेदारी कृषि भूमि रही है। कुनणी लाऔलाद फौत हुयी जिसका एक मात्र वारिस प्रार्थी व अप्रार्थी सं 1 ता 3 के पिताजी स्व. श्री मूलचन्द होने के कारण स्व. श्री मूलचन्द राजी जैरकार प्रार्थना पत्र के खातेदार काश्तकार हुवे व मूलचन्द जी के स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके विरासतन प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 व हिस्सा बटावर प्रत्येक 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। अप्राथी सं. 1 अत्यन्त चालबाज व्यक्ति है, जो प्रार्थी के रिश्ते में सगा भाई है व स्वर्गीय श्री मूलचन्द का जायज पुत्र है, जो आज भी झंवरलाल पुत्र मूलचन्द के नाम से जाना पहचाना जाता है, ने राजस्व अमले एवं तत्कालीन सरपंच, ग्राम पचांयत से साज कर अपने आप को स्व. कुनणी का गोद पुत्र बताते हुवे नामान्तरण सं. 9 स्वीकृत करवाकर तमाम उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड मे अकंन अपने अकेले के नाम से करवा

लिया है। वास्तव मे स्वर्गीय कुनणी व उनके स्व पति श्री किशन ने कभी झंवरलाल को गोद नही लिया। जो राजस्व इन्द्राजात से साबित है। अप्रार्थी सं. 1 ज्यादा पढा लिखा व होशियार होने के कारण सयुक्त परिवार से सम्बधित सभी कागजी, बाजारू व सरकारी महकमे जात से सम्बधित तमाम कार्य करता रहा है।

अप्रार्थी सं. 1 येन केन प्रकरेण प्रार्थी को बेदखल कर जबरन कब्जा करने पर उतारू है । अगर प्रार्थी अपने इरादे मे कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अहम नुकसान व अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं होगी । केस प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है तथा सुविधा का सन्तुलन व न्यायहित भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी सख्या 1 इस अमर की जारी फरमायी जावे की ताफैसला दावा गांव शरह कजाणी के साबिका खसरा नं. 10, 11 व 12 कुल तादादी 64.13 बीघा जिसके हाल बन्दोबस्त मे नये खसरा नं. 42, 43, 44, 45 तादादी क्रमशः 0.10 हैक. व 0.10 हैक., 6.70 हैक. व 2.85 हैक. कुल तादादी 9.75 हैक. भूमि का किसी को रहन बय मुन्तकिल नही करे और न ही किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करे।

प्रा.पत्र पेश होने पर प्रार्थी के पक्ष में इकतरफा तौर पर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि गयी कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पशी तक अप्रार्थीगण उक्त भूमि को विक्रय नहीं करें तथा मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुवे जवाब पेशकर कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 को स्व कुनणी देवी पत्नी श्रीकिसन ने दिनांक 06.03.1956 को अपने पति की अन्तिम इच्छा के अनुसार तमाम पारिवारिक रस्मे अदाकर गोद लेकर गोदनामा उपपंजीयक बीकानेर कार्यालय मे पंजीबद्ध करा दिया था । तब से अप्रार्थी सं. 1 स्व. कुनणी देवी कि पुर्नावत सेवा चाकरी की व वादगत भूमि पर सहखातेदार के रूप में काबिज रहा कुनणी की मृत्यु के बाद जरिये नामान्तरण सं. 9 सन 1961 मे वादगत भूमि का खातेदार काश्तकार हुवा। तब से अप्राथी नं. 1 के नाम से ही वादगत भूमि की जमाबन्दी गिरदावरी बनती है व अप्रार्थी के लगातार कब्जे काश्त मे चली आ रही है। अप्रार्थी नं. 1 को स्व. कुनणी देवी पत्नी श्रीकिसन के दतक पुत्र के रूप मे एक आवासीय भूखण्ड विरासत मे प्राप्त हुआ । जिसका पट्टा नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा दिनांक 28.02.1984 को अप्रार्थी नं. 1 के नाम से जारी किया । इस प्रकार अप्रार्थी नं. 1 श्रीकिसन माली का एक मात्र उतराधिकारी है। अप्रार्थी नं. 1 को अपने प्राकृतिक पिता स्व. मूलचन्द जी से किसी प्रकार की कोई सम्पति का हिस्सा हक प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि वे श्रीकिसन जी के दतक पुत्र है। प्रार्थी ने स्व. मूलचन्द के सभी वारिसो को पक्षकार नहीं बनाया गया है स्व. मूलचन्द के पुत्रियां भी है, जिन्हें दावे में पक्षकार नहीं बनाया है। इस कारण प्रा.पत्र निरस्त योग्य है।

प्रतिवादी सं. 2 के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र जवाब मय काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया कि विवादित भूमि कुनणी बेवाह श्रीकिशन जाति माली की खातेदारी भूमि रही है। जिसके जायज वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 सहित प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा बनता है। प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं 1 ता 3 के पिता मूलचन्द को कुनणी ने खोले लिया था। इस कारण कुनणी बेवा के फौत होने के बाद मुतनाजा भूमि कानूनन प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता मूलचन्द में निहित हुयी तथा मूलचन्द सम्पूर्ण भूमि के खातेदार हुवे। मूलचन्द कुनणी बेवा के खोले होने के कारण ही मूलचन्द की वल्दियत श्रीकिशन रही है। अप्रार्थी सं. 1 ज्यादा पढा लिखा व होशियार होने के कारण राजस्व अमले व कर्मचारियों से मिलकर विवादित भूमि को तथाकथित गोदनामा के आधार पर अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवा लिया अप्रार्थी सं. 1 की वल्दियत आज भी झंवरलाल पुत्र मूलचन्द है, जिससे साबित होता है कि अप्रार्थी सं. 1 कुनणी का गोद पुत्र नहीं हैं। इसलिये अप्रार्थी सं. 1 का विवादित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2, 3 के साथ 1/4 हिस्सा ही बनता है। 1/4 हिस्सा से अधिक भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। न्यायालय मे आकर पता करने पर पता

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

बला कि अप्रार्थी सं. 1 विवादित सम्पूर्ण भूमि अपने नाम से गोद पुत्र के आधार पर अंकित करवा ली है। प्रार्थी ने अपने भाई झंवरलाल तथा पूनमचन्द को विवादित भूमि में 1/4 1/4 हिस्सा घोषित करवाकर विभाजन करवाने का कहा तो प्रार्थी व भाई झंवरलाल व पूनमचन्द ने विवादित भूमि मे अप्रार्थी सं. 2 का हिस्सा होने से इन्कार कर दिया जिससे अप्रार्थी सं 2 का 1/4 हिस्सा है, को घोषित करवाकर विभाजन करवाने हेतु दावे में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया हुवा है। यदि दौराने दावा अप्रार्थी सं. 1 विवादित भूमि किसी तरीके से हस्तान्तरित कर देता है, तो अप्रार्थी सं. 2 को अपूर्णीय क्षति होगी।

अप्रार्थी सं. 1 ने मूलचन्द के पुत्र की हैसियत से मूलचन्द की सम्मति में से रिहायशी भू-खण्ड प्राप्त किया है। अपने पिता व माता की वोटर लिस्ट लगाकर अपने तीन पुत्रों के नाम से स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे भी बनवा लिये है। प्रार्थी सं. 2 का अपनी कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। मौके पर प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है । हुयी है इस कारण प्राईमा फैसी व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है । अतः प्रार्थी प्रस्तुत काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश इस आशय का जारी किया जावे कि ग्राम शरहकजाणी तहसील बीकानेर के साबिका खसरा नं. 10, 11 व 12 कुल तादादी क्रमशः 0.10 हैक., 0.10हैक., 6.70हैक. व 2.85 हैक. कुल तादादी 9.75 42, 43, 44 व 45 तादादी 64.15 बीघा, जिसके हाल बन्दोबस्त में नये खसरा नं. है कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 रहन बैय या दिगर तरीके से मुन्तकिल ना करे तथा मौके रिकार्ड की स्थिति यथावत बनायी रखे।

अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अपने जवाब प्रा.पत्र मे कथन किया कि उक्त अनवानी दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रा.पत्र की प्रार्थी (प्रतिवादी) को कभी जानकारी नहीं रही है। दावा जैसकार होने की सुग बुगाहट गांव में काफी समय से चल रही थी। तो प्रार्थी दिनांक 05.08. 2013 को कचहरी परिसर मे आकर वकील श्री सत्यनारायण तिवाडी से उक्त अनवानी दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा के बारे में जिक्र किया । तब वकील श्री सत्यनारायण तिवाडी ने कोर्ट की फाइल देखकर बताया कि उक्त अनवान की टी.आई पत्रावली में प्रार्थी का जवाब व शपथपत्र सलंग्न है, जिसमें अप्रार्थी झंवरलाल को स्व. कुनणी देवी व श्रीकिशन का दत्तक पुत्र बताया हुआ है। प्रार्थी द्वारा उक्त अनवानी प्रा.पत्र में कभी भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया, ना ही प्रार्थी ने जवाब पर हस्ताक्षर किये, ना ही प्रार्थी ने शपथपत्र पर हस्ताक्षर किये व ना ही प्रार्थी ने कोर्ट वकील नियुक्त किया है। अप्रार्थी झंवरलाल ने प्रार्थी से यह कहकर कुछ खाली कागजात पर तथा कई छपे हुव कागजात जिसे वाहे वकालतनामे का फार्म बता रहा था पर हस्ताक्षर करवाये कि प्रार्थी की भूमि जो खसरा नं. 8 की रही है जिसमें UIT के खिलाफ मुकदमा कर रखा है, उस मुकदमे में लिखा पढी करवानी है। तब प्रार्थी ने खाली कागजात व छपे हुवे फार्म (वकालतनामा) पर हस्ताक्षर किये थे। जिसका उपयोग अप्रार्थी झंवरलाल ने उक्त अनवान की टी.आई पत्रावली में अपने पक्ष में जवाब प्रस्तुत करने हेतु उपयोग में लिया है। झंवरलाल बडा भाई होने के कारण उस पर विश्वास करते हुवे खाली कागजात पर हस्ताक्षर किये थे। प्रार्थी ने कभी जवाब प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उसने झंवरलाल अप्रार्थी को कुनणी का खोलापत पुत्र माना हो। वास्तव में अप्रार्थी झंवरलाल कुनणी का खोलायत पुत्र नहीं है ना ही प्रार्थी ने अप्रार्थी को वादगत भूमि पर कब्जा इत्यादि होने के तथ्यों को लिखा है, ना ही प्रार्थी ने अपनी तरफ से श्री कुशाल चन्द जोशी को वकील नियुक्त किया प्रार्थी श्री कुशाल चन्द को जानता तक नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी ने अप्रार्थी झंवरलाल अप्रार्थी की कुनणी देवी व श्रीकिसन का दत्तक पुत्र नहीं बताया है, ना ही झंवरलाल कुनणी व श्रीकिशन का दत्तक पुत्र रहा है ना ही है। अप्रार्थी झंवरलाल ने ही लालचवश प्रार्थी के हस्ताक्षरित कागजो का उपयोग कर अपने पक्ष मे जवाब पेश करवाया है। अतः उक्त अनवानी अस्थायी निषेधाज्ञा प्रा.पत्र मे प्रार्थी के नाम से प्रस्तुत जवाब को अमान्य करार दिया जाकर एकतर्फा से हटाया जावे तथा अप्रार्थी झंवरलाल के खिलाफ टी.आई आदेश कन्फर्म किया जावे।

को कुनणी बहरा [illegible] के योग्य [illegible] की सूची । [illegible] प्रार्थी ने वादगत भूमि उसकी [illegible] बना श्रीकिशन की खातेदारी भूमि होना बताया कुनणी [illegible] होने से [illegible] निर्वादित भूमि के विधिक, वारिस मूलचन्द हुवे । मूलचन्द के गोद होने से उनके जायज वारिसान जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 है, क्योंकि रिकॉर्ड में [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 झंवरलाल का नाम दर्ज है। प्रार्थी ने दावा बराबर [illegible] के लिए किया है, व विवादित रकबे पर वह काबिज है । अप्रार्थी संख्या 1 उसे राजस्व रिकॉर्ड में नाम होने के आधार पर उक्त भूमि से बेदखल करना चाहता है । अत: मौके पर प्रार्थी का कब्जा है इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है।

इसके जवाब वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि वादगत भूमि शरहकजाणी तहसील बीकानेर के साबिका खसरा नं. 10, 11 व 12 कुल तादादी 64.15 बीघा जिसके हाल बन्दोबस्त में नये खसरा नं.42, 43, 44 व 45 तादादी क्रमश 0.10 हैव., 0.10 हैव., 6.70 हैव. व 2.85 हैव. कुल तादादी 9.75 हैक्टेयर कुनणी की खातेदारी भूमि है । उसके पक्ष में गोदनामा 30 वर्ष पूर्व निष्पादित किया गया है । मूलचन्द कुनणी के गोद गये थे, ऐसा कोई गोदनामा नहीं है और प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में वादगत भूमि दर्ज नहीं है। वकील प्रार्थी का कथन है कि मूलचन्द कुनणी के विधिक वारिस है, किन्तु इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है, कि मूलचन्द कूनणी के कभी भी गोद गया था। अपितु दिनांक 06.03.1956 को झंवरलाल के कूनणी व मूलचन्द दोनों के हस्ताक्षर हैं । इस रजिस्टर्ड पेश किया गया है । जिसपर कूनणी के गोद जाने का रजिस्टर्ड गोदनामा मेरे द्वारा गोदनामें के आधार पर इंतकाल संख्या 09 दर्ज हुआ, जिससे झंवरलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ । उक्त रजिस्टर्ड गोदनामें को 50 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद भी आज तक किसी भी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है और ना ही कोई एफ.आई.आर. उक्त गोदनामें के फर्जी होने बाबत् दर्ज हुई है। विवादित भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है, ना ही मौके पर कब्जे का कोई सबूत ही उनके द्वारा पेश किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजात् जैसे कि नामांतरण नकल, जमाबन्दी, गोदनामा, बिजली व टेलीफॉन का बिल आदि से कब्जा मेरे पक्ष में साबित होता है । अत: प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में ना होकर मेरे पक्ष में सावित होता है । मौके पर मेरा कब्जा है, जिससे सुविधा का सन्तुलन भी मेरे पक्ष में सावित है । प्रार्थना पत्र में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा की वजह से मैं अपनी ही भूमि पर ना तो कोई लोन ले पा रहा हूँ, ना ही भूमि का बेचान कर पा रहा हूँ, जिससे मुझे अपूर्णीय क्षति हो रही है । आगे बहस में कहा कि किसी रिकॉर्डड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इसके पक्ष में उन्होंने **RRT 2013 Vol II Page 828, RRT 2014 VOL I Page 523** नजीरें प्रस्तुत की । उन्होंने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 पूनमचन्द ने भी अपने जवाब में मेरे खोले जाने के तथ्य को स्वीकार किया था। अत: प्रथम दृष्ट्या मामला मेरे पक्ष में साबित होता है । अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें ।

इसके जवाब में प्रार्थी वकील ने कथन किया कि झंवरलाल के पक्ष में निष्पादित गोदनामें की स्थिति दावें में साक्ष्य लिए जाने के पश्चात् तय की जानी है । अत: जहाँ **"Object of tittle"** दावें में बाद में तय किया जाना है, वहाँ प्रार्थी को टी.आई. प्राप्त करने का अधिकार है । इसके समर्थन में **RBJ 2000 Page 573** प्रस्तुत की है । आगे बहस में कथन किया कि दिनांक 10.04.1961 को भरा गया नामांतरण संख्या 9, जिसके आधार पर अप्रार्थी का नाम जमाबन्दी में आया है, उस दस्तावेज में अप्रार्थी की वल्दियत झंवरलाल पुत्र मूलचन्द मानी है, ना कि झंवरलाल वल्द श्रीकिशन/कुनणी । ततपश्चात् की जमाबन्दियों में भी झंवरलाल वल्द मूलचन्द लिखा है । जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी स्वयं को मूलचन्द की सन्तान मानता है । आगे बहस में कथन किया कि विभिन्न दस्तावेजात् यथा– पहचान पत्र, बिजली बिल, सार्दुल संस्कृत स्कूल की 1962 की टी.सी., ड्राइविंग लाईसेन्स (1962), सर्विस

रिकॉर्ड RCP में एक ड्राईवर के रूप में 1988 में, बैंक ऑफ बड़ौदा की पासबुक, पॉलिसी राशन कार्ड, झंवरलाल की पुत्रियों की शादी का निमंत्रण पत्र व वर्तमान राशन कार्ड व पर तथ्य प्रमाणित होता है कि झंवरलाल मूलचन्द का वारिस है और यह कॉपी की गलती के चलते नहीं गया था।

प्रार्थी वकील ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 का कथन कि, [illegible] 3 पूनमचन्द ने झंवरलाल को कूतणी का गोदपुत्र स्वीकार किया है, सही नहीं है। पूनमचन्द ने उक्त कथित जवाब को फर्जी बताया है और कोर्ट से अनुपस्थिति [illegible] किया है। जिसमें उसने इस तथ्य से इन्कार किया है कि [illegible] साथ ही कथन किया कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध डी आई [illegible] का निर्णय नहीं किया जा सकता। साथ ही कहा कि विवादित भूमि [illegible] और कब्जे को साबित करने के लिए माईनिंग लीज डीड की नकल पेश की [illegible] खसरों (10 व 11) पर श्याम सुन्दर पुत्र मूलचन्द व पूनमचन्द पुत्र मूलचन्द [illegible] साथ ही कहा कि मूलचन्द ने एक वसीयत दिनांक 12.05.1983 [illegible] उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके चार पुत्र थे। उक्त वसीयत [illegible] निष्पादित की गई है। साथ ही कहा कि मूलचन्द का नाम [illegible] गिरदावरियों में मूलचन्द का नाम [illegible] का प्रथम दृष्टया मामला साबित होता है, इसलिए, दिनांक 12.05.1983 को [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 के वकील ने कथन किया कि, "[illegible]" (गोदनामा) ही दावें में साक्ष्य के पश्चात तय किया जाना है। साथ ही कहा कि [illegible] कहती है कि **Intricated question of title should not be** [illegible] 212 आरटीए के स्कोप को बताने के लिए उन्होंने **RRD 1967 Page 195** [illegible] ही कथन किया कि यदि खातेदारी ही संदेह [illegible] विरुद्ध टी.आई. नहीं जारी की जा सकती।

अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में [illegible] जाहिर की और कहा कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध [illegible] अपने कथन के समर्थन में उन्होंने **RRD 2013 Page 547, RRD 2015 Page 601, RRD 2014 VOL I Page 590** प्रस्तुत की।

हमने योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत बहस [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। [illegible] सारह कजाणी तहसील बीकानेर के मालिकी खसरा नम्बर [illegible] बीघा, जिसके हाल बन्दोबस्त नये खसरा नम्बर 62 [illegible] 10 हैक. 6.70 हैक व 2.85 हैक. कुल तादाद 9.75 हैक [illegible] अप्रार्थीगण मूलचन्द की प्राकृतिक सन्तान है। [illegible] सगा भाई है। अप्रार्थी संख्या 1 ने कूतणी व मूलचन्द [illegible] किया है। किन्तु गोदनामे व अप्रार्थी के [illegible] अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब में मूलचन्द की [illegible] मकान प्राप्त होने का वर्णन है। वसीयत की नकल [illegible] होती है। झंवरलाल कुनणी का खातेदार [illegible] साक्ष्य लेने के पश्चात तय किया जाना है। [illegible] की है, जो कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम [illegible] पति श्रीकिशन के विधिक वारिसान के होते है। [illegible]

[illegible] एवं कलक्टर एवं [illegible] अतिरिक्त [illegible] बीकानेर

नहीं है । प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण [illegible] के [illegible] है । [illegible]
टाईटल दावे के माध्यम से तय नहीं हो [illegible] विवादित भूमि का
मौके की यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है । [illegible] विवादित भूमि के [illegible]
लिटीगेशन आगे ना बढ़े।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण एवं प्रार्थी [illegible] के [illegible] 5 [illegible] कोई
निर्णय तक अप्रार्थीगण विवादित भूमि [illegible] [illegible] मार्ग के
नम्बर 10, 11 व 12 कुल तादादी 64.15 बीघा, [illegible] बीकानेर के [illegible] मुरब्बा
43, 44, 45 तादादी क्रमशः 0.10 हैक्ट, 0.10 हैक्ट, 0.70 हैक्ट व 2.85 हैक्ट कुल तादादी 3.75 हैक्ट
को विक्रय नहीं करें तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें ।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर
व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

(मोनिका [illegible])
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(शहर), बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official